

परियोजना का नाम— शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मेमोरियल मिनी स्टेडियम का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संयुक्त अनुबन्ध पत्र।

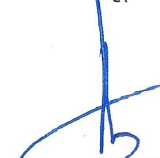
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद नैनीताल के अर्न्तगत बिन्दुखत्ता (लालकुआँ) में शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल नैनीताल द्वारा प्रस्तावित 4.9962 है० वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्रफल **9.9924 है०** राज्य सरकार के स्वामित्व वाली सिविल सोयम वन भूमि का चयन ग्राम— गासी, सिविल तहसील— कपकोट, जिला— बागेश्वर में किया गया है।

उक्त चयनित सिविल सोयम भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की है एवं राज्य अभिलेखों में श्रेणी 9(3)ख², अन्य वन, खाता संख्या— 112 जंगल में दर्ज है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का चयन खाता संख्या— 112 के खेत संख्या— 10492, 10493 तथा 10517 में किया गया है।

उक्त चयनित भूमि वृक्षारोपण कार्य हेतु उपयुक्त होने का प्रमाण—पत्र प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा दिया गया है।

अतः उक्त चयनित 9.9924 है० सिविल सोयम वन भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य हेतु वन विभाग के पक्ष में दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति उपरान्त उक्त चयनित सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण कार्य हेतु वन विभाग के पक्ष हस्तान्तरण / नामान्तरण कर दी जायेगी।


उपजिलाधिकारी
कपकोट


प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर


राजस्व (R.S.) निरीक्षक
क्षेत्र मेराली
तहसील कपकोट
(बागेश्वर)


तहसीलदार
कपकोट-बागेश्वर